न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी– उत्साह चौधरी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 29 / 2017
तारीख दायर : 10.05.2017

उपजिला मजिस्ट्रेट माण्डलगढ़ (भीलवाड़ा)

अनवान

1. कालू पिता लादू जाति गुर्जर निवासी जस्सूजीकाखेड़ा तहसील माण्डलगढ़।
2. कल्याण पिता देवा जाति गुर्जर निवासी जस्सूजीकाखेड़ा तहसील माण्डलगढ़।
3. हरला पिता भूरा जाति गुर्जर निवासी जस्सूजीकाखेड़ा तहसील माण्डलगढ़।

---प्रार्थीगण

बनाम

1. भोजा मुतबन्ना देवा जाति गुर्जर निवासी जस्सूजीकाखेड़ा तहसील माण्डलगढ़।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।

---अप्रार्थीगण

उपस्थित :–

1. श्री ऋतुराज सिंह (अधिवक्ता प्रार्थीगण)
2. श्री महेश चन्द्र (अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1)
3. अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित।

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251–ए(2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

–: निर्णय :–

दिनांक : 17.09.2020

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम जस्सूजीकाखेड़ा पटवार हल्का जस्सूजीकाखेड़ा स्थित भूमि आराजी संख्या 377, 378, 379 किता 3 रकबा 20 बीघा 12 बिस्वा के खातेदार प्रार्थीगण 1 से 3 प्रार्थीगण की कृषि भूमि पर पहुंचने का सदैव का 10 से 12 फीट का अनुपातिक रूप से चौड़ा रास्ता ग्राम जस्सूजीकाखेड़ा से निकलकर महुँआ की तरफ रोड़ रोड़ होते हुये दक्षिण दिशा में होते हुये बुलिया वाला बाणिया का कुऑ होते हुये मेरी आराजी में जाता है। यह रास्ता खसरा नम्बर 371, 373 में होते हुये शामलाती कुऑ आराजी नम्बर 375 के सहारे सहारे होकर प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 378 में पहुँचता है। तथा प्रार्थी की आराजी में पहुँचने के लिए उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। तथा उक्त रास्ते पर विपक्षी निरन्तर आ जा रहा है। तथा पूर्व में भी हम उक्त रास्ते का बराबर उपयोग उपभोग कर रहे है। लेकिन आपसी रंजिस से उक्त रास्ता बन्द कर दिया। तथा उक्त रास्ते के लिए नियमानुसार डी.एल.सी. दर से पैसे जमा करवाने को तैयार हूँ। यदि उक्त रास्ता नही मिला तो मेरी आराजी पड़त रह जायेगी जिससे मेरे परिवार का गुजर बसर भी नही हो सकेगा। उक्त रास्ते की प्रार्थीगण को निरन्तर बिना किसी बाधा व अवरोध के आवश्यकता है। इसलिए वे कृषि खातेदारी में स्थित इस रास्ते को स्थाई रास्ते के रूप में दर्ज अभिलेख कराना चाहते है। जिसके लिए विपक्षी संख्या एक को [illegible] की मुआवजा राशि भुगतान करने के लिए तैयार है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी[illegible] खातेदारी भूमि आराजी संख्या 371, 378, 379 पर पहुँचने के लिए विपक्षी संख्या की ख[illegible] भूमि आराजी संख्या 371, 373, 374 व 375 रास्ता दिलाये जाने का आदेश प्रदान फरमावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Utsah Chaudhary
Date: 2021.02.02 12:25:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़

बाद जांच प्रार्थना [illegible] विपक्षीगण को नोटिस [illegible] नकल प्रार्थना पत्र भेज कर तलब किया गया। दिनांक [illegible]1.2020 को विपक्षी संख्या [illegible] से अधिवक्ता श्री महेश चन्द्र सुखवाल द्वारा अधिकार पत्र पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 16.01.2020 को विपक्षी भोजा पिता देवा गुर्जर की ओर से अधिवक्ता श्री महेश चन्द्र सुखवाल द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पेश किया गया। विपक्षी संख्या 1 द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र में निवेदन किया गया कि वर्णित आराजी नम्बर 377, 378, 379 के खातेदार प्रार्थीगण के अलावा प्रभु, फोरू पिता गोरू, बदामी प्रेम पुत्री गोरू, उदी बेवा गोरू, लादू–उदी पिता नाराण रूपा–भोजा–गंगा बरदा पिता छोगा, हरला केसर छाउ पिता भूरा

Scanned with CamScanner

खातेदार है। सभी खातेदारान की अनुपस्थिति में प्रार्थनापत्र चलने योग्य नही है। आराजी ग्राम जस्सूजीकाखेड़ा में होना अस्वीकार है। प्रार्थीगण के खाते की ग्राम जस्सूजीकाखेड़ा में स्थित आराजी नम्बर 377, 378, 379 पर आने जाने का रास्ता जस्सूजीकाखेड़ा से निकलकर महुँआ की तरफ रोड़, रोड़ पर होते हुये दक्षिण दिशा में होते हुये प्रार्थीगण की आराजी पर पहुँचता हो। प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 0378 पर पहुँचने का रास्ता विपक्षी के खाते की आराजी नम्बर 0371, 373 से होते हुये सामलाती कुऍं आराजी नम्बर 375 के सहारे सहारे पहुँचता हो। प्रार्थीगण की खाते की जमीन पर पहुँचने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता न हो। प्रार्थीगण ने विपक्षी के साथ मिलकर न्यायालय आप में प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251 ए (2) रा0टि0ए0 विरूद्ध नारायण पिता देबी कुम्हार, भंवरसिंह पिता विजयसिंह, पारसकंवर पत्नि विजयसिंह, नारायणसिंह किशनसिंह, प्रतापसिंह पिता अमरसिंह, नरपतसिंह पिता समुन्द्रसिंह, राजेन्द्रसिंह पिता समुन्द्रसिंह, प्रकाशकंवर पुत्री समुन्द्रसिंह, भंवरकंवर पत्नि स्व0 समुन्द्रसिंह राजपूत निवासी जस्सूजीकाखेड़ा के खिलाफ दिनांक 24.10.2013 को प्रार्थनापत्र पेश कर निवेदन किया। प्रार्थीगण और विपक्षी की खाते की भूमि पर पहुँचने का रास्ता ग्राम जस्सूजीकाखेड़ा से निकलकर पश्चिम दिशा में चलते हुये आराजी नम्बर 351, 355 की मध्य मेर से होते हुये आराजी नम्बर 358, 355 की मध्य मेर पर होते हुये आराजी नम्बर 359, 355 की मध्य मेर पर होते हुये आराजी नम्बर 370 / 365 की पूर्वी मेर तक पहुँचतें है। आराजी नम्बर 370 / 365 व आराजी नम्बर 356 उक्त दोनो खसरा नम्बर के मध्य होते हुये आगे आराजी नम्बर 370 / 365, 652 / 356 की मध्य मेर पर होते हुये आराजी नम्बर 376 की मेर पर पहुचते है। आराजी नम्बर 376, 366 विपक्षी की खाते की भूमि है। आराजी नम्बर 377, 378, 379 प्रार्थीगण तथा अन्य की खातेदारी की भूमि है। दिनांक 21.01.2013 को किशन पिता अमरसिंह, विपक्षी नाराण पिता देवी कुम्हार ने उक्त रास्ते बावत तहसीलदार माण्डलगढ़ के समक्ष राजस्व अभियान के दौरान सहमति दी। क्योकि आराजी नम्बर 356, 361 दोनो के कब्जे की भूमि है। प्रार्थीगण ने प्रकरण संख्या 97 / 2013 का प्रार्थनापत्र दिनांक 04.09.2018 को नोट प्रेस में खारीज कर दिया है। प्रार्थीगण को प्रार्थीगण द्वारा कथित रास्ते के अलावा वैकल्पिक रास्ता मौजूद है। उक्त प्रकरण में आाजी नम्बर 351 बिलानाम भूमि से आगे आराजी नम्बर 358, 357, 670 / 365 के दक्षिण में दिशा जाने वाला रास्ता लघुतम रहता है। प्रतिवादी ने यह भी जाहिर किया कि पूर्व में वादी तथा प्रतिवादी दोनो इसी रास्ते से आते जाते थे। वर्तमान में भी मौके पर आराजी नम्बर 357 तक रास्ता मौजूद है। नाराण कुम्हार के खाते की आराजी नम्बर 361 की दक्षिण मेर पर आराजी नम्बर 361, 356 के बीच अवस्थित रास्ते को छोड़कर नाराण कुम्हार के थूहर की बाड़ लगा रखी है। प्रार्थीगण ने मुकदमा नम्बर 97 / 13 में इसी रास्ते को प्लीड किया था। प्रार्थीगण विवादित रास्ते को इस प्रकरण में प्लीड करने के लिए स्टोप्ड है। विवादित रास्ता निकालने से विपक्षी की आराजियात दोनो भागो में विभाजित होगी। उक्त प्रार्थना पत्र चलने योग्य न होकर खारिज किया जाना न्यायसंगत है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण सव्यय खारिज फरमाया जावें।

दिनांक 08.09.2020 को पत्रावली बहस हेतु पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। पैरोकार सरकार उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर आने जाने का रास्ता ग्राम जस्सूजीकाखेड़ा से निकलकर पश्चिम दिशा में चलते हुये आराजी संख्या 351व 355 की मध्य मेर पर होते हुये आराजी नम्बर 359 व 355 की मध्य मेर पर होते हुये खसरा नम्बर 670 / 365 की पूर्वी मेर तक पहुँचते है। उसके पश्चात नारायण पिता देबी कुम्हार के खाते में दर्ज भूमि खसरा नम्बर 670 / 365 व खसरा नम्बर 356 की मध्य मेर होते हुये खरा नम्बर 670 / 365, 652 / 356 की मध्य मेर पर होते हुये आराजी नम्बर 376 पर पहुँचते है। प्रकरण संख्या 97 / 2013 के विपक्षीगण ने विशेष कथन में कथन किया है कि प्र0स0 97 / 2013 के प्रार्थीगण की जमीन पर जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता श्रीनगर से जस्सूजीकाखेड़ा ... होकर आराजी नम्बर 419 सार्वजनिक रास्ते से होते हुये प्रार्थीगण की आराजी ... पर पहुँचना कथन किया है प्र0स0 97 / 2013 प्रार्थीगण ने दिनांक 04.09.2018 ... नही चाहने हेतु निवेदन किया। फर्द अहकाम नोट प्रेस ... की गई। प्रार्थीगण प्र0स0 97 / 2013 की प्लीडिंग से बाध्य है प्रार्थीगण इसी ... रास्ता प्लीड करके आये है। प्रार्थीगण के विरूद्ध विबन्धन का सिद्धान्त लागू होता है। प्रार्थी... का प्रार्थनापत्र चलने योग्य नही है। प्रार्थीगण ने प्र0स0 97 / 13 को रेस्टोर नही कराया है। आदेश 9 नियम 9 जा0दी0 प्रावधान के अनुसार प्रार्थीगण यह प्रार्थनापत्र लाने के लिए योग्य नही है। प्रार्थीगण के विरूद्ध रेस ज्यूडिकेटा का सिद्धान्त लागू होता है। कार्यालय तहसीलदार माण्डलगढ़ के पर्चा मौका प्र0स0 97 / 17 में प्रार्थीगण के खेत में जाने का रास्ता आराजी नम्बर 351, 357, 358, 670 / 365 वाला रास्ता लघुतम रहता है। वर्तमान में भी मौके पर आराजी नम्बर 357 तक रास्ता मौजूद होना बताया है।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Utsah Chaudhary
Date: 2021.02.02 12:45:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

विपक्षी के खाते में प्रार्थीगण का चाहा गया रास्ता विपक्षी की खेती की भूमि को दो भागो में विभाजित करता है। पर्चा मौका दिनांक 18.02.2020 में वर्णित रास्ता प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते की ताईद करता है। धारा 251 ए (1) रा0टि0ए0 के प्रावधानो के अनुसार रास्ते की आवश्यकता अत्यधिक आवश्यकता है। और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपयोग के लिए नही है। और अन्य खातेदार की जोत में से होकर विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में पहुँचने के लिए वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध करने पर ही रास्ता दिया जा सकता है। प्रार्थीगण के प्रकरण में प्लीड किये रास्ते से जाते रहे। प्रार्थीगण को आने जाने का रास्ता उपलब्ध रहा है। तथा वही रास्ता लघुतम है। तथा विपक्षीगण द्वारा प्लीड किया रास्ता भी प्रार्थीगण को वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र वैकल्पिक रास्ते की मौजूदगी में प्रार्थनापत्र चलने योग्य नही है। प्रार्थीगण ने प्रार्थनापत्र 97/2013 सन् 2018 तक लम्बित 5 साल तक रखा, खारीज कराया राजकीय मशीनरी का दुरपयोग हुआ, राजकीय धन का अपवर्जन हुआ प्रार्थीगण को बार बार प्रार्थनापत्र लाने का अधिकार नही है। प्रार्थीगण के सहकाश्तकार की अनुपस्थिति में यह प्रार्थनापत्र चलने योग्य नही है। प्रार्थीगण के खाते की जमीन 371, 378, 379 आराजी नम्बर 376, 375, 373 के सटती हुई है। वर्णित रास्ते से प्रार्थीगण और विपक्षी के खेतारे तक जाने का रास्ता उपलब्ध होकर प्लीड किया है। प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र खारीज योग्य अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण सव्यय खारिज फरमाया जावें।

हमने सर्वपक्षीय की बहस पर मनन किया। पत्रावली में प्रस्तुत प्रार्थनापत्र, जवाव प्रार्थनापत्र, प्रार्थना पत्र द्वारा अप्रार्थिया, जवाब प्रार्थना पत्र प्रार्थी संख्या 1, राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2071–74, जमाबन्दी सम्वत 2075–78 दिनांक 18.02.2020 को तहसीलदार माण्डलगढ़ से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया। तहसीलदार द्वारा अपनी रिपोर्ट में अवगत करवाया गया कि प्रार्थी की आराजी पर पहुँचने के लिए मौके पर व राजस्व रिकॉर्ड में अन्य कोई रास्ता नहीं हैं। प्रार्थी की आराजी पर पहुँचने के लिए उनके द्वारा मांगा गया रास्ता लघुतम नही है व अप्रार्थी की भूमि दो भागो में विभाजित हो जाती है। विकल्प के रूप में ग्राम की आवादी से पश्चिम दिशा में चलकर बिलानाम आराजी नम्बर 351 में होते हुये आगे आराजी नम्बर 357, 358 व 670/365 के दक्षिण दिशा में होते हुये प्रार्थी अपनी आराजी पर पहुँच सकता है। मौजा जस्सूजीकाखेड़ा की आराजी नम्बर 357 व 358 देवा नारायण पिता देवी चन्दमल शैतान सोहन मांगीलाल पिता छोटू धम्मा बेवा छोटू कुम्हार के नाम व आराजी नम्बर 670/365 नारायण पिता देवी कुम्हार के नाम खातेदारी हक से दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त रास्ता दिये जाने पर आराजी नम्बर 351 जो बिलानाम है से 02 बिस्वा व आराजी नम्बर 358 से 01 बिस्वा आराजी नम्बर 357 से 02 बिस्वा आराजी नम्बर 670/365 से 07 बिस्वा भूमि 13 फीट चौड़े रास्ते के उपयोग में आयेगी। जिसकी डी.एल.सी. दर 65340 प्रति बीघा से बिलानाम में 13068 व खातेदारी में 65340 कुल 78408 बनती है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते की अप्रार्थी के खाते की 10 बिस्वा भूमि रास्ते के उपयोग हेतु ली जावेगी। विकल्प के रूप में रास्ते हेतु 10 बिस्वा खातेदारी भूमि का उपयोग होगा जिसकी की डी.एल.सी. दर 65340 रू. प्रति बीघा से 65340 रू. बनती है। व 02 बिस्वा बिलानाम की डी.एल.सी. दर 13068 बनती है। कुल डी.एल.सी. दर 78408 रू. बनती है।

प्रार्थी द्वारा जिस आराजी के लिये रास्ता चाहा गया है उसमें प्रार्थना पत्र में अंकित प्रार्थीगण के अलावा अन्य सहखातेदार भी संलग्न जमाबन्दी अनुसार दर्ज रिकार्ड है। एवं आराजी संख्या 375 मे भी रास्ता चाहा गया है, इस आराजी के अप्रार्थी के अतिरिक्त भी सहखातेदार है जिनको अप्रार्थी नही बनाया गया है। प्रार्थना पत्र खारिज योग्य प्रतित होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान कास्तकारी अधिनियम–1955 के तहत प्रार्थना पत्र में जिस आराजी के लिये रास्ता चाहा गया उसके सभी खातेदार प्रार्थना पत्र में प्रार्थी नही [illegible] जी का खेड़ा की आराजी संख्या 375 से भी रास्ता चाहा गया है। किन्तु इस [illegible] समस्त खातेदारों को अप्रार्थी नही बनाया गया है। जिससे प्रार्थी का [illegible]

आदेश आज दिनांक 17.09.2020 को [illegible] न्यायालय लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Utsah Chaudhary
Date: 2021.02.02 12:25:58 IST
Reason: SelfAttested

उपजिला मजिस्ट्रेट मांडलगढ़ (भीलवाड़ा)

Utsah 17/9/20
उत्साह चौधरी (आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़

Scanned with CamScanner